प्रेस विज्ञप्ति

27.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई के गोरेगांव में स्थित **41.70 करोड़ रुपये** की संपत्तियों को 25.03.2026 को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। अटैच की गई संपत्तियों में पूर्ण/आंशिक रूप से निर्मित आवासीय फ्लैट, व्यावसायिक दुकानें और कार्यालय स्थान शामिल हैं, जो "गोरेगांव पर्ल सीएचएस परियोजना" से संबंधित हैं।

पीएमएलए जांच से पता चला कि "गोरेगांव पर्ल सीएचएस प्रोजेक्ट" से संबंधित पूर्ण/आंशिक रूप से निर्मित आवासीय फ्लैट, व्यावसायिक दुकानें और कार्यालय स्थान सहित जब्त की गई संपत्तियों का निर्माण शुरू में मेसर्स साई सिद्धि डेवलपर्स द्वारा किया गया था। ऐसी निर्मित/आंशिक रूप से निर्मित संपत्तियों का कुछ हिस्सा पूर्ण/आंशिक विक्रय मूल्य प्राप्त होने के बदले बाहरी खरीदारों को भी बेचा गया था। हालांकि, इस मामले में पीड़ित बाहरी खरीदारों को न तो बेची गई इकाइयां मिलीं और न ही उनकी धनराशि वापस की गई। इसलिए, साई सिद्धि डेवलपर्स के जयेश तन्ना द्वारा वास्तविक बाहरी खरीदारों को धोखा देकर प्राप्त की गई धनराशि इस मामले में अपराध की आय मानी जाएगी।

मुंबई पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के तहत "गोरेगांव पर्ल सीएचएस प्रोजेक्ट" से संबंधित कई एफआईआर दर्ज कराई गई थीं, जिनके आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। इन एफआईआर में मेसर्स साई सिद्धि डेवलपर्स, जयेश तन्ना और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने इन एफआईआर में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है।

ईडी की अब तक की जांच से पता चला है कि मेसर्स साई सिद्धि डेवलपर के प्रमुख साझेदार (यानी, जयेश तन्ना) ने प्रस्तावित पुनर्विकास परियोजना, गोरेगांव पर्ल में फ्लैट/दुकान खरीदारों से प्राप्त धन को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं का सहारा लिया, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना पूरी नहीं हो सकी और खरीदारों को 47.51 करोड़ रुपये का अनुचित नुकसान हुआ।

इससे पहले, जयेश तन्ना और साई ग्रुप ऑफ कंपनीज की सहयोगी संस्थाओं के खिलाफ अन्य परियोजनाओं से संबंधित एक अलग मामले में, ईडी ने 05.03.2025 को मुंबई में **09 परिसरों** पर तलाशी अभियान चलाया था। इसके बाद, ईडी ने जयेश तन्ना, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगी संस्थाओं की 35.89 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया, जिसमें यूके में स्थित संपत्ति भी शामिल है (जयेश तन्ना और अन्य के खिलाफ दूसरे मामले में अलग से निर्धारित 45.75 करोड़ रुपये की संपत्ति में से), जिसकी पुष्टि पीएमएलए, नई दिल्ली के अंतर्गत माननीय न्याय निर्णयन प्राधिकरण ने कर दी है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।